उत्तर प्रदेश शासन

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-4901/सोलह-1-2015-14(34)/2015

लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–4 के साथ पठित धारा–13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–1561/सोलह–1–2008–5(डब्लू–48)–2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली 2008 बनाई गई है।

2. अधिनियम की धारा–14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–4781/सोलह–1–2015–14(34)/2015 दिनांक 21.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 निर्गत की गई है जो संलग्न की जा रही है।

3. परोपकारी एवं धर्मार्थ कार्यों से लगी किसी संस्था (Charitable Institution) द्वारा यदि मानक शुल्क से कम फीस ली जानी प्रस्तावित हो, तो वह विनियम के तहत अपना आवेदन पत्र समिति को उपलब्ध कराते समय अपनी आय के अन्य स्त्रोतों यथा दान (Donation) आदि का विस्तृत ब्यौरा भी समिति को उपलब्ध करायेंगे जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिक्षा के न्यूनतम मानकों एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यय का वहन संस्था द्वारा किस प्रकार किया जायेगा।

उक्त विनियमावली के विनियम संख्या–4(2) में प्राविधानित व्यवस्था के तहत प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों के मानक शुल्क (Standard fee) निर्धारण हेतु निम्नवत् उप समितियों का गठन किया जाता है :–

(क) <u>डिग्री स्तरीय अभियत्रण संस्थाओं हेतु :–</u>

1.	विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य

–2–

So UO 2015-

3. अध्यक्ष, प्रवेश एवं फीस निर्धारणे समिति द्वारा नामित डिग्री स्तरीय अनुदानित इजीनियरिंग संस्थाओं के दो शिक्षाविद् — सदस्य

4. अध्यक्ष प्रवेश एवं फीस निर्धारण समिति द्वारा नामित एक चार्टेड एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) — सदस्थ

5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति — **सदस्य–सचिव**

(ख) डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं हेतु

1. विशेष सचिव, प्राविधिक **शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।** — अध्यक्ष
2. निदेशक **प्राविधिक शिक्षा,** — सदस्य
3. सचिव, **प्राविधिक शिक्षा** परिषद — सदस्य
4. **अध्यक्ष, प्रवेश एवं** फीस निर्धारण समिति द्वारा नामित राजकीय **पालीटेक्निक** संस्थाओं के दो शिक्षाविद् — सदस्य
5. अध्यक्ष, प्रवेश एवं फीस निर्धारण समिति द्वारा नामित एक चार्टेड एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) — सदस्य
6. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति — सदस्य–सचिव

5. विनियमावली शैक्षिक सत्र 2016–17 से लागू होगी। शैक्षिक सत्र 2015–16 में संस्था हेतु पूर्व में निर्धारित फीस ही लागू होगी।

मोनिका एस0गर्ग
अध्यक्ष प्रवेश एवं फीस निर्धारण
समिति / प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैवः–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव, (श्री द्विवेदी एवं श्री पाण्डेय) प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति।
3. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
5. निदेशक प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 कानपुर।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
7. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से
(अवध किशोर)
अनु सचिव

So UO 2015-